

22/08/22

पचावली काउन्सिल द्वारा कभील वासीगण द्वारा
पचावली का मजलुकत कदमकत किया गया
कभील वासीगण द्वारा यह याद पत्र दिनांक
22-07-20 को न्यायालय में सादर किया था,
लागत 2 वर्षों का समय लिये जाते हैं
उपरोक्त पी. एल. वासीगण भी तलबी पूर्वकी
करवाई है इसके यह उचित होता है कि
वासीगण व वासीगण के प्रतिवेदन भी उक्त
प्रकरण में कोई रुकड़ि नहीं दी है तथा
उक्त उक्तान प्रकरण तलबी के मातल
के मातल 9 दिनांक 500 के तहत स्विकृत
किया जाता है पचावली विधिद सुमा
दिए गए मारिकल दफतर है।

पनी

बहायत कलेक्टर, गुडामाला

